अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

विविध वाद संख्या–12/05/61/08

सुलेमान मियां बनाम् अंचल अधिकारी, रामगढ़

21/01/2020

प्रस्तुत अभिलेख उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक–380, दिनांक–02.05.2011 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। तदनुरूप संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

वादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि सुलेमान मियां मौजा– मरार, थाना– रामगढ़ के रैयती निवासी हैं। ग्राम– मरार, थाना सं0–144, थाना– रामगढ़, जिला– रामगढ़, खेवट सं0–01, तौजी सं0–28, खाता सं0–01, प्लॉट सं0–1423, रकवा–1.15 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि है, जिस पर उनका मकान बना हुआ है तथा चारों तरफ से चहारदीवारी दिया हुआ है, जिसका चौहद्दी, उ0–परती कदीम, द0–अरगड्डा रोड, प0–मो0 मोईनुद्दीन, पू0– इफिको रोड के एक मात्र स्वामी हैं। उक्त भूमि पर उनका शान्तिपूर्वक दखल–कब्जा चला आ रहा है, जिसमें वे सपरिवार निवास करते आ रहे हैं। उपरोक्त प्रश्नगत् भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास दर्ज है, जो वादी को भूतपूर्व जमीन्दार से प्राप्त है। उक्त भूमि की बंदोबस्ती भूतपूर्व जमीन्दार रानी रिखीनाथ कुंवरी, मु0खे0 सं0–02 साकिनान किले पदमा, थाना बरही, जिला हजारीबाग के द्वारा आवेदक के पिता के नाम से किया गया। तद्नुसार उनका दखल–कब्जा पाते हुए अमीन नियुक्त कर नापी कराकर प्रश्नगत् भूमि को 1942 में आवेदक को बंदोबस्ती कर दिया एवं सालाना लगान निर्धारित लेने लगे। वादी प्रश्नगत् भूमि के दखल–कब्जा में रहते हुए जमीन्दारी उन्मूलन तक भूतपूर्व जमीन्दार को एवं जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् बिहार सरकार को लगान देने लगे। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा बुझारत की कार्रवाई की गई, जिसमें वादी के दखल–कब्जा एवं सही कागजात पाते हुए राजस्व कागजात में नाम दर्ज कर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत की गई। प्रश्नगत् भूमि पर वादी दखलकार हुए एवं भूमि पर चहारदीवारी घेर कर आवासीय भवन का निर्माण किया, जिस पर वे अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं। वादी के द्वारा स्थानीय हल्का कर्मचारी से मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु कई बार निवेदन किया गया, लेकिन आज तक सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं हुआ। प्रश्नगत् भूमि पर उनका शान्तिपूर्ण दखल–कब्जा चला आ रहा है एवं उनके द्वारा प्रश्नगत् भूमि को चहारदीवारी से घेर कर कुआँ का निर्माण किया गया है एवं उक्त भूमि के कुछ भाग में आवास का निर्माण कर सपरिवार निवास कर रहे हैं।

प्रस्तुत अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि से संबंधित किसी प्रकार का ठोस कागजात नहीं प्रस्तुत किया गया। अभिलेख पर निम्न न्यायालय, अंचल अधिकारी, रामगढ़ या भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ का मंतव्य प्राप्त नहीं है। प्रश्नगत् भूमि गैरमजरूआ खास प्रकृति की भूमि है, जिसके लिए निम्न न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकार

Scanned with CamScanner

को सुनवाई करते हुए बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् कार्रवाई किया जाना श्रेयकर प्रतीत होता है।

अतः मूल अभिलेख अंचल अधिकारी, रामगढ़ को वापस करते हुए निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत् भूमि ग्राम– मरार, थाना सं0–144, थाना– रामगढ़, जिला– रामगढ़, खेवट सं0–01, तौजी सं0–28, खाता सं0–01, प्लॉट सं0–1423, रकवा–1.15 एकड़ गैरमजरूआ खास के अवैध दखलकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर देते हुए बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् प्रस्ताव तैयार कर उचित माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

01/2020

अपर समाहर्ता,
रामगढ़।

01/2020

अपर समाहर्ता,
रामगढ़।

Scanned with CamScanner